बिहार विधान परिषद् सचिवालय,पटना

विज्ञापन संख्या-03/2024

कार्यालय परिचारी(रात्रि प्रहरी) एवं कार्यालय परिचारी (दरबान) के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु

आवश्यक सूचना

(प्रमाण-पत्रों का सत्यापन)

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं. 03/2024 के अन्तर्गत कार्यालय परिचारी(रात्रि प्रहरी) एवं कार्यालय परिचारी (दरबान) के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु परीक्षाफल में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन परिषद् सचिवालय के विस्तारित भवन में दिनांक- 22.09.2025 (सोमवार) 11.00 बजे पूर्वा. में होगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उक्त स्थान पर निश्चित रूप से पहुँच जाएं। अभ्यर्थी सत्यापन हेतु विज्ञापन के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्र के साथ-साथ निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे-

1. ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
2. प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति।
3. सभी परिक्षार्थी अपना पहचान पत्र (मूल प्रति में) यथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई-आधार (रंगीन प्रति) आदि के साथ उपस्थित होंगे।
4. चार पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
5. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति)।
6. आवासीय प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति)।
7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :-ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
   - क. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
   - ख. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति)।
     - i. जाति प्रमाण-पत्र।
     - ii. स्थायी निवासी (डोमिसाईल) प्रमाण-पत्र।
   - ग. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति)।
     - i. जाति प्रमाण-पत्र।
     - ii. स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र
     - iii. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
8. प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा।
9. जो अभ्यर्थी बिना पूर्व सूचना के प्रमाण-पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर परिषद् सचिवालय निर्णय ले सकता है।

16-09-25

(नवीन कुमार मिश्र)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्।